



Real Estate Regulatory Authority | भू-संपदा
Madhya Pradesh | विनियामक प्राधिकरण
मध्यप्रदेश

रेरा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल दूरभाष-0755-2556340, 2556760
Website:- www.rera.mp.gov.in, Email id- secretaryrera@mp.gov.in

क्रमांक 2022/II-P/A-9a/F-237/1233

भोपाल दिनांक 13/04/2022

प्रति,

✓ श्री रजनील यादव

GID-088, डी.एल.एफ. गार्डन-सिटी,


मांगलिया सड़क, बायपास,

इन्दौर (म.प्र.)

विषय:- अभिकर्ता श्री रजनील यादव इन्दौर म.प्र. का पंजीयन ।

उपरोक्त विषयक अभिकर्ता श्री रजनील यादव इन्दौर म.प्र. का पंजीयन क्रमांक A-IND-22-1070 का मूल प्रमाण पत्र संलग्न प्रेषित है।

संलग्न: उपरोक्तानुसार


(जी.सी. डेहरिया)
उप सचिव

म.प्र. भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण



Real Estate Regulatory Authority
भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण
Madhya Pradesh मध्य प्रदेश

रेरा भवन, अरेरा हिल्स, मेन रोड नं. 1, भोपाल-462011

प्ररूप "ज"
{नियम 11 (1) देखिए}

रियल एस्टेट अभिकर्ता का पंजीयन प्रमाण-पत्र

- अधिनियम की धारा 9 के अधीन
(किसी व्यक्ति की दशा में) श्री/श्रीमती.....
पुत्र श्री/श्रीमती.....
तहसील..... जिला..... राज्य.....
अनिल यादव
इन्दौर इन्दौर मध्य प्रदेश
पंजीयन क्रमांक A-IND-22-1070
या
(फर्म/सोसाइटी/कम्पनी की दशा में).....
फर्म/सोसाइटी/कम्पनी..... जिसका पंजीकृत कार्यालय/कारबार का प्रमुख स्थान..... में स्थित है
को अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के निबन्धनों के अंतर्गत..... राज्य सरकार में पंजीकृत
अचल संपत्ति परियोजना में यथास्थिति किसी भूखण्ड, बहुखण्डीय भवन या भवन के विक्रय या क्रय को सुकर बनाने के लिए रियल एस्टेट अभिकर्ता
के रूप में कार्य करने हेतु यह पंजीयन जिस पर पंजीयन प्रमाणपत्र संख्या..... 01..... से..... तक है, प्रदान किया जाता है;
- निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए यह पंजीयन प्रदान किया जाता है, अर्थात्:-
 - (एक) रियल एस्टेट अभिकर्ता किसी ऐसी रियल एस्टेट परियोजना या इसके भाग में, यथास्थिति किसी भूखण्ड, बहुखण्डीय भवन या भवन के विक्रय या क्रय को सुकर नहीं बनाएगा, जो कि ऐसे सम्प्रवर्तक द्वारा बेचा जा रहा है जिसका पंजीयन अपेक्षित है, परन्तु जो विनियामक प्राधिकरण में पंजीकृत नहीं है;
 - (दो) रियल एस्टेट अभिकर्ता ऐसे लेखे, अभिलेख और दस्तावेज संधारित तथा सुरक्षित रखेगा जैसा कि नियम 14 में उपबंधित है;
 - (तीन) रियल एस्टेट अभिकर्ता अपने आप को कि अनुचित व्यापार प्रथा में सम्मिलित नहीं करेगा जैसा कि धारा 10 के खण्ड (ग) में विनिर्दिष्ट है;
 - (चार) रियल एस्टेट अभिकर्ता यथास्थिति किसी भूखण्ड, भूखण्डीय भवन या भवन की बुकिंग और विक्रय के समय आबंटिती और सम्प्रवर्तक को अपने-अपने अधिकारों का प्रयोग करने तथा अपने-अपने दायित्वों को पूरा करने हेतु समर्थ बनाने में सहायता करेगा;
 - (पांच) रियल एस्टेट अभिकर्ता अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों का अनुपालन करेगा;
 - (छह) रियल एस्टेट अभिकर्ता क्षेत्र जिसमें परियोजना का विकास किया जा रहा है में तत्सम प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों का उल्लंघन नहीं करेगा;
 - (सात) रियल एस्टेट अभिकर्ता ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करेगा जैसा कि विनियम द्वारा विर्सयामक प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए;
- पंजीयन वर्ष 11-04-22 से प्रारंभ होकर और वर्ष 10-04-27 तक पांच वर्षों के लिए विधिमान्य रहेगा, जब तक कि अन्यथा अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों के अनुसार विनियामक प्राधिकरण द्वारा नवीकृत नहीं कर दिया जाता।
- यदि रियल एस्टेट अभिकर्ता द्वारा ऊपर वर्णित शर्तों को पूरा नहीं किया जाता है तो विनियामक प्राधिकरण रियल एस्टेट अभिकर्ता के विरुद्ध आवश्यक कदम उठाएगा जिसमें अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार प्रदान किए गए पंजीयन का प्रतिसंहरण सम्मिलित है।

दिनांक : 11-04-2022

स्थान : भोपाल

रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण के
प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा